Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में नगर निगम हैरिटेज का वरिष्ठ सहायक 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *24 जनवरी, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर–तृतीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मेघराज चावरिया वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज जयपुर को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर–तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी माताजी की बकाया पेंशन के भुगतान करने की एवज में मेघराज चावरिया वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज जयपुर द्वारा **30 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालू राम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी की जयपुर नगर–तृतीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु कुलदीप** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी** द्वारा मय टीम आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये मेघराज चावरिया पुत्र श्री लखनलाल निवासी मकान नं0 5–7, वार्ड नं0 90, अशोक चौक, आदर्शनगर, जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, संस्थापन शाखा, कार्यालय उपायुक्त आदर्शनगर जोन, नगर निगम हैरिटेज जयपुर को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।